न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी – श्रीमती निमिषा गुप्ता ,आर ए एस

अपील संख्या– आरटीए / 294 / 2017

उनवान

1. फुमा पत्नी मोहनलाल कुम्हार निवासी हरणी खुर्द तहसील व जिला भीलवाडा
2. नाराणी पत्नी रामचन्द्र कुम्हार निवासी नाथडियास तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट्स

बनाम

1. दुर्गा लाल आत्मज भैरू लाल गुर्जर निवासी नाथडियास तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा ....रेस्पोडेण्ट / वादी
2. नरेन्द्र सिंह आत्मज मोहन सिंह छाजेड महाजन निवासी 6 / 2 काशीपुरी भीलवाडा तहसील व जिला भीलवाडा रेस्पोडण्ट / प्रतिवादी नं01
3. सुरेन्द्र पुरी गुरू तेजपुरी पिता बालुपुरी गोस्वामी निवासी नाडी मोहला भीलवाडा तहसील व जिला भीलवाडा रेस्पोडेण्ट प्रतिवादी संख्या 4
4. किशन आत्मज सोला गुर्जर निवासी बिन्दोलिया तहसील व गंगरार जिला चित्तोंडगढ रेस्पोडेण्ट / प्रतिवादी नं 5
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हमीरगढ, जिला भीलवाडा रेस्पोडेण्ट / प्रतिवादी सं0 6
6. राजस्थान राज्य जरिये जरिये उपपंजीयक महोदय, पंजीयन कार्यालय , तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा प्रत्यर्थी / प्रतिवादी नम्बर 7

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

अपील विरूद्व आदेश उपखण्ड अधिकारी, हमीरगढ के प्रकरण संख्या 273 / 2014 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 7.7.2017

अभिभाषक : 1. श्री एम एल असावा , अधिवक्ता अपीलार्थीगण

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

2. श्री शोभागमल कुमावत, अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या 1से4

आदेश

दिनांक 7.12.2017

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी संख्या 1/वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम नाथडियास पटवार क्षेत्र बिलिया कलॉ की खतौनी नम्बर 123 आराजी नम्बर 818 रकबा 50 बीघा 6 बिस्वा भूमि स्थित है। जो वर्तमान राजस्व रेकार्ड में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 के नाम पर दर्ज है। जिसमें वादी का 1/6 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 का 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 का 3/10 प्रतिवादी संख्या 3 का 1/10 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 4 का 1/10 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 5 का 1/6 हिस्सा निहित है। वादग्रस्त आराजी पर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 5 संयुक्त रूप से काबिज होकर उसका उपयोग उपभोग कर रहे है। उक्त आराजी का विभाजन नहीं हुआ है। वादग्रस्त आराजी राजस्व रेकार्ड में शामलाती दर्ज होने से लगान आदि जमा कराने, घास काटने, भूमि को उन्नत करने में परेशानी होती है। प्रतिवादी संख्या 1 से 5 को विभाजन कराने हेतु निवेदन किया परन्तु वे नहीं मानें। प्रतिवादी संख्या 1 से 5 ने धमकी दी कि वे रोड के सहारे स्थित हिस्से को अन्य को विक्रय कर देंगे। अतः राजस्व रेकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार विभाजन कराया जावे एवं प्रतिवादीगण वादग्रस्त आराजी में से किसी हिस्से विशेष को किसी अन्य को हस्तान्तरित नहीं करे इस बाबत प्रतिवादी संख्या 1 से 5 को पाबन्द किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजिबद्ध किया गया एवं बाद विचारण प्राथमिक डिक्री

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

दिनांक 30.6.2015 द्वारा वादी का वाद पत्र स्वीकार किया एवं तहसीलदार को बंटवाडा प्रस्ताव तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया । बंटवाडा प्रस्ताव प्राप्त होने पर अपीलाधीन निर्णय एवं फाईनल डिक्री दिनांक 7.7.2017 पारित किया। जिससे व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

2. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई एवं उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

3. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि एवं तथ्यों के विपरीत है। उनका तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया जिस पर न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत की गई थी। जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.6.2015 को अपने निर्णय दिनांक 7.8.2015 द्वारा निरस्त कर प्रकरण रिमाण्ड किया एवं अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया कि प्रकरण में सुनवाई का अवसर देकर अज सिरे से निर्णय पारित करें । अधीनस्थ न्यायालय ने अपने पूर्व में पारित निर्णय को न्यायालय हाजा द्वारा निरस्त करने के उपरान्त भी उसी निर्णय के आधार पर अंतिम डिक्री पारित कर दी है जो खारिज योग्य है।

4. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय ने खेराबाद लोक अदालत कैम्प में उपस्थित होने की सूचना नहीं दी थी और हमारी अनुपस्थिति में दिनांक 30.6.2015 का प्रारंभिक डिक्री पारित कर दी। अपीलाण्ट/प्रतिवादी की अनुपस्थिति में फाईनल डिक्री भी पारित कर दी । चूंकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

दिनांक 7.7.2017 को कैम्प कोर्ट खैराबाद में अंतिम डिक्री पारित की गई वह भी अपीलाण्ट की अनुपस्थिति में पारित की गई। इसलिए उसे जानकारी नहीं हो सकी । अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री 7.7.2017 को निरस्त करने का निवेदन किया। व न्यायालय हाजा द्वारा पारित आदेश दिनांक 7.8.2015 के अनुसार पुनः कार्यवाही हेतु आदेशित करें।

5. रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से 4 के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व रेकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार उभयपक्ष के मध्य विभाजन का वाद स्वीकार कर निर्णय एवं प्रारंभिक डिक्री पारित की । तहसीलदार द्वारा बंटवाडा प्रस्ताव प्रस्तुत करने पर अपीलाधीन निर्णय एवं अंतिम डिक्री पारित की है। जो विधिसम्मत है। अपीलार्थी केवल रास्ते की जमीन पाने की गरज से समय नष्ट करना चाहता है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।

6. हमनें अपीलाण्ट के अधिवक्ता की एकतरफा बहस सुनी एवं पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय में प्रत्यर्थी संख्या 1/वादी ने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53–188 राजसथान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया । जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्रारंभिक डिक्री दिनांक 30.6.2015 की अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की गई। जिस पर न्यायालय हाजा में अपील संख्या 131/2015 पंजिबद्ध की गई। बाद विचारण निर्णय दिनांक 7.8.2015 को अपीलार्थी की अपील को आंशिक रूप से स्वीकार कर प्रकरण को रिमाण्ड किया गया एवं निर्देशित किया गया था कि प्रकरण में उभयपक्ष की उपस्थिति में पुनः अज सिरे नो निर्णय पारित किया

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

जावे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण को राजस्व लोक अदालत कैम्प में प्रकरण का निस्तारण दिनांक 30.6.2015 को किया गया था। उक्त दिनांक 30.6.2015 की आदेशिका में वादी एवं प्रतिवादी सख्या 4 की उपस्थिति का अंकन हैं । शेष प्रतिवादीगण की उपस्थिति का अंकन नहीं है। जबकि आदेशिका दिनांक 30.6.2015 के बांई तरफ यह अंकित किया गया है कि '' हम सभी सहमति से विभाजन चाहते हैं। इसके उपरान्त दुर्गालाल वादी एवं सुरेन्द्रपुरी प्रतिवादी संख्या 4 के हस्ताक्षर है। प्रकरण को राजस्व लोक अदालत में निस्तारण हेतु सभी पक्षकारान की सहमति से निस्तारण किया जाना होता है। परन्तु अपीलाधीन प्रकरण में सभी पक्षकारान की न तो दिनांक 30.6.2015 को उपस्थिति सुनिश्चित की गई एवं न ही उनकी सहमति लेकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया हैं । शेष प्रतिवादीगण अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं कर पाये थे। इस कारण न्यायालय हाजा द्वारा अपील अपीलाण्ट आंशिक रूप से स्वीकार कर प्रकरण को रिमाण्ड किया गया था। ऐसी स्थिति में उभयपक्ष को पुनः सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर निर्णय एवं प्रारंभिक डिक्री पारित की जानी चाहिये थी।

7. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न्यायालय हाजा के आदेशों की पालना नहीं कर दिनांक 30.6.2015 के पूर्व अपीलाधीन आदेश की पालना में तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत बंटवाडा प्रस्ताव के आधार पर निर्णय एवं अंतिम डिक्री पारित की है। जिसका समर्थन नहीं किया जा सकता है। क्योंकि जब प्रकरण में पुनः सुनवाई का अवसर दिया जाकर निर्णय पारित किया जाना था। उसके बावजूद पक्षकारान के सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान नहीं कर न्यायालय हाजा के आदेशों की अवहेलना की है तथा पूर्व निर्णय दिनांक 30.6.2015 की पालना में प्राप्त बंटवाडा

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

प्रस्ताव के आधार पर निर्णय एवं अंतिम डिक्री पारित कर दी है। जिसका समर्थन नहीं किया जा सकता है। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 30.6.2015 को प्रारंभिक डिक्री पारित की । न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 7.8.2015 को अजसिरे नो निर्णय पारित करने का आदेश दिया । न्यायालय हाजा के निर्णय का कहीं भी अंकन अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका पर नहीं आया एवं पुनः सुनवाई नहीं कर दिनिांक 7.7.2017 को अंतिम डिक्री पारित कर दी। दिनांक 27.10.2015 को जवाब लिया, परन्तु प्रारंभिक डिक्री पुनः जारी न कर सीधे दिनांक 7.7.2017 को अंतिम डिक्री पारित कर दी। दिनांक 1.10.2015 को प्रस्तुत पटवारी के प्रस्ताव अनुसार ही अंतिम डिक्री जारी कर दी।

8. अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्रारंभिक डिक्री दिनांक 30.6.2015 एवं निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 7.7.2017 को निरस्त कर प्रकरण को रिमाण्ड कर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्ष को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर मूल वाद का निस्तारण किया जावे एवं निर्णय की पालना में तहसीलदार द्वारा बंटवाडा प्रस्ताव बनाते समय भी उभयपक्ष की उपस्थिति सुनिश्चित कर अगर बंटवाडा प्रस्ताव बनाते समय कोई आपत्ति हो तो उसका निस्तारण किया जाकर फाईनल डिक्री पारित की जावे । उभयपक्ष अधीनस्थ न्यायालय मे दिनांक 10.1.18 को उपस्थित रहें।

9. निर्णय आज दिनांक 7.12.2017 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया । 7/12/17

(निमिषा गुप्ता)
भू.प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाडा

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा